

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

बल्लभ भवन, भोपाल -462004

क्रमांक एफ 73-75/2009/20-3  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30-9-09

संचित  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल  
पीठ बिहार, नई दिल्ली।


विषय— अशासकीय शिक्षण संस्था कॉटिल्य एज्युकेशन एकेडमी, शाजापुर को सीबी  
एस.ई./आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
देने के संबंध में।

—000—

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं प्रथम पत्र के  
आधार पर संस्था को सीबीएस.ई./आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति  
प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर देया जाता है—

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के  
उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण  
संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के  
संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था को प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा  
उनका एक प्रतिनिधि कारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के  
अनुसार किगशील ऑर्गेन शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था  
होगी तथा इस संस्था में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में  
समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को  
करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



( सीबी.पडवार )  
अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

